टेक्नालॉजी, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था प्रबन्धन

डॉ.महेश शुक्ला
प्राध्यापक समाजशास्त्र
शास.टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
एवं
डॉ. ओमश्री सिंह

सारांश

भारत आज ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां डिजिटल इंडिया की मजबूत नींव रखी जा चुकी है और सूचनाओं तथा सेवाओं तक पहुँच आसान हो जाने से भारत को आर्थिक और सामाजिक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की क्षमता के बेहतरीन उपयोग में मदद मिली है। इससे भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रही है और 2025 तक रोजगार के 5.5 से 6 करोड़ अवसरों की संभावना बन गयी है।

बीज शब्द - *डिजिटल टेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्था, सामाजिक, सूचना।*

समाज वैज्ञानिकी अक्टूबर-मार्च 2020-21
अंक-33-34, ISSN 0973-4201
भारतीय समाज विज्ञान परिषद्

अध्ययन का महत्व -

प्रस्तुत शोध अध्ययन का महत्व इस प्रकार है:-

- एमएसएमई क्षेत्र के लिये डिजिटल सुविधाओं का विकास प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए ऐतिहासिक समर्थन और इस क्षेत्र तक पहुंचने संबंधी कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऐसे कार्यक्रम के तहत जो देशभर में एमएसएमई के विकास, विस्तार और उसे सहूलियत मुहैया करने में मदद करेंगे।
- लघु उद्योगों के लिये कर्ज की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये एम 59 मिनट कर्ज पोर्टल की शुरुआत। इस पोर्टल का लिंक जीएसटी पोर्टल के जरिये उपलब्ध कराया जायेगा।
- सभी जीएसटी रजिस्टर्ड लघु उद्योगों के लिये नये लोन या पुराने लोन को बढ़ाने की स्थिति में ब्याज पर 2 फीसदी की सब्सिडी।
- 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के लेन-देन वाली कम्पनी को जरुरी तौर पर ट्रेड रिसीवेबल्स ई-डिस्काउंटिंग सिस्टम में लगाया जायेगा। इस पोर्टल से जुड़ने से उद्यमियों को प्राप्त करने योग्य रकम के आधार पर बैंकों से कर्ज लेने का मौका मिल सकेगा और नकदी चक्र की समस्या भी दूर होगी।
- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिये 20 फीसदी की बजाय अपनी कुल खरीद या 25 फीसदी हिस्सा लघु उद्योगों से खरीदना जरूरी कर दिया गया है।
- लघु उद्योगों से कम से कम 25 फीसदी खरीद वाले प्रावधान के तहत 3 फीसदी खरीद महिला उद्यमियों के लिये आरक्षित होना चाहिये। सार्वजनिक क्षेत्र से जुडी केन्द्र सरकार की सभी इकाईयों के लिये जी-ईएम का हिस्सा होना जरूरी कर दिया गया है।
- देश भर में 20 हब बनाए जायेंगे और टूल रूम के तौर 100 स्पोक स्थापित किये जाएंगे।
- एक इंस्पेक्टर द्वारा किन इकाईयों का दौरा किया जायेगा, इस बारे में फैसला कम्प्यूटरीकृत बेहतर आवंटन के जरिये होगा। वायु प्रदूषण नियमों के तहत जब दोनों का विलय एक इकाई में कर दिया गया है-स्व-प्रमाणीकरण के जरिये रिटर्न स्वीकार किया जायेगा।
- कर्मचारियों के पास जन-धन खाता, भविष्य निधि और बीमा हो, यह सुनिश्चित करने के लिये मिशन शुरु किया जायेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के फैसले भारत में लघु उद्योगों को मजबूत करने

में काफी मददगार होंगे उनका कहना था कि पहुँच संबंधी इस कार्यक्रम पर अमल की अलग 100 दिनों में कड़ी निगरानी की जायेगी।

शोध समीक्षा -

बनर्जी, अभिजीत (2016) का मत है कि- किसी भी शोध समस्या का चयन कर लेने के पश्चात यह आवश्यक ही नहीं अपितु शोध कार्य की अनिवार्य आवश्यकता होती है कि-उस अनुसंधान विषय से संबंधित उपलब्ध साहित्य का पुनरावलोकन कर तत्संबंधित विषयगत समीक्षा कर ली जाये। इस संबंध में केन्या लोगों द्वारा मोबाइल फोन आधारित पैसे के उपयोग के लिये मजबूती से खड़ा है-10 वर्षो से कम समय में ब्यवस्क आबादी का यह प्रतिशत 0 से 75 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

वर्धन, प्रणब (2016)[2] के अनुसार संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन किसी भी अनुसंधानकर्ता को बेसिक इन्कम इन अ पुअर कंट्री, आईडियाज फॉर इंडिया, के माध्यम से ग्रामीण भारत के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना में कार्यान्वयन की समस्यायें एवं भारी रिसाव हैं। एलपीजी सब्सिडी के मामले में ये कमियां इतनी थीं कि जनसंख्या के ऊपरी 20 प्रतिशत ने उपयोग व्यय द्वारा कुल प्रत्यक्ष सब्सिडी का आधे निचले हिस्से ने कुल सब्सिडी अंतरण का 10वें से भी कम अंश प्राप्त किया। इन समस्याओं के प्रत्युत्तर में प्रणाली का डिजिटलीकरण एक स्पष्ट समाधान था।

चक्रवर्ती, लेखा (2016) : फिस्कल कंसॉलिडेशन, बजट डेफिसिटस एण्ड मैक्रो इकॉनमी, में[3] भारत में जनधन योजना की पहुंच को दर्शाती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जनता के बचत खातों को खोलने का काम कररही है ताकि सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचना सुनिश्चित हो जाए।

शोध-प्रविधि-

ज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य अपरिहार्य है, शोध कार्यो द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास किया जाता है, जिनका उत्तर उपलब्ध नहीं है। उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है जिनका समाधान उपलब्ध नहीं है। वर्तमान युग में शोध या अनुसंधान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्यों का प्रमाणीकरण, नवीनीकरण एवं सत्यापन अनुसंधान के द्वारा ही किया जा सकता है।

शोध कार्य में डिजिटल बदलाव की पूरी प्रक्रिया का मकसद नवोन्मेषी उत्पाद और सेवाएं मुहैया कराना है, ताकि उत्पादकता और दक्षता को बेहतर बनाया जा सकें। डिजिटल उपकरणों का कनेक्शन मुख्य

तौर पर दूरसंचार नेटवर्क द्वारा मुहैया कराया जायेगा, लिहाजा, दूरसंचार क्षेत्र डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने वाला प्रमुख इंजन होगा। जो डिजिटल क्रांति का नियमन करने में अग्रसर होगा।

भारत के डिजिटल यात्रा की कहानी परिवर्तन और समावेशन की गाथा रही है। 2015 में सरकार द्वारा शुरु किये गये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल तरीके से सशक्त समाज के रुप में विकसित करना था। पारदर्शिता, समावेशन, उत्पादकता और कार्यकुशलता बढ़ाकर किये जा रहे इस परिवर्तनकारी विकास का अंतर्निहित आधार टेक्नॉलाजी है।

आधार के माध्यम से भारत के नागरिकों को नयी डिजिटल पहचान मिली है और देश के एक अरब 22 करोड़ से अधिक निवासियों को इसके दायरे में लाया जा चुका है। उन्हें सरकार द्वारा पहचान प्रमाण पत्र जाारी किये गये हैं जिनके जरिये कहीं भी और कभी भी अभिप्रमाण का कार्य कराया जा सकता है। देश भर के गरीब तबके के लोगों के लिये तो ये पहचान पत्र वरदान की तरह बड़े राहत देने वाले साबित हुए हैं क्योंकि इससे वे विभिन्न सामाजिक सेवाओं का फायदा बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। आधार को रसोई गैस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आदि से जोड़ दिया गया है जिससे लाभार्थियों की सही-सही पहचाान तो हो ही जाती है यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि इन कल्याण कार्यक्रमों का फायदा जल्द से जल्द सही व्यक्तियों तक पहुंचे। इसलिये डिजिटल अवसरंचना के निर्माण में आधार का सीधा महत्व है और इसके माध्यम से सामाजिक व वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जा रहा है।

डिजिटल इंडिया के तहत की जा रही पहल और उसके साथ ही टेक्नॉलाजी में हो रहे विकास ने भारत को व्यापक संभावनाओं वाला क्षेत्र बना दिया है जहां आशा और प्रतिभा डिजिटल तरीके से अवसरों को पूरा करते हैं। भारत दुनिया के उन शीर्ष देशों में है जिन्होंने टेक्नोलॉजी और नवाचार का प्रभावी उपयोाग करते हुए राज व्यवस्था के दृष्टिकोण को सरकार-केन्द्रित से नागरिक केन्द्रित बना दिया है, जहां ई-सेवाओं के जरिए ऐसा माहोल बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें सहभागिता शासन व्यवस्था में नागरिकों का सशक्तीकरण हो ओर उन्हें निर्णय लेने तथा सरकारी नीतियां, कार्यक्रम और कायदे कानून बनाने के कार्य में भागीदार बनाया जा सकें। डिजिटल तरीके को अपनाने में इस शानदार बढ़त का अंदाजा संयुक्त राष्ट्र के 2018 के ई-गवर्नेंस इंडेक्स में भारत की स्थिति में सुधार से स्पष्ट रूप से लगाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के सूचकांक से यह बात भी जाहिर हो जाती है कि शासन संचालन में सूचना और संचार

टेक्नालॉजी के उपयोग की भारत की क्षमता एशिया के तमाम अन्य देशों के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से बढ़ी है। भारत के संयुक्त राष्ट्र ऑनलाइन सेवा इंडेक्स में भी काफी सुधार हुआ है और यह 2018 में बढ़कर 0.95 पर जा पहुँचा है। नागरिकों के साथ सम्पर्क के लिये सशक्त मंच **माई गवर्नमेण्ट** का विकास और इस पर अमल सहभागितापूर्ण लोकतंत्र की सच्ची भावना से किया जा रहा है।

अपनी इस डिजिटल यात्रा में भारत तेज रफ्तार से **उड़ान भरने** को है। डिजिटल आधारभूत ढाँचे और विस्तारित डिजिटल पहुंच की मजबूत नींव रखने के बाद अब भारत विकास के अगले चरण में पहुंचने की तैयारी कर रहा है जिसमें जबरदस्त आर्थिक लागत का सृजन होगा। यही नहीं, जैसे-जैसे एक क्षेत्र के बाद दूसरे क्षेत्र में नये डिजिटल अनुप्रयोगों का उपयोग शुरु हो रहा है, करोड़ो भारतवासियों का सशक्तीकरण हो रहा है।

देश में डिजिटल लेन-देन में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है और भुगतान में डिजिटल तरीका अपनाने में भारत कई पायदान ऊपर चढ़ गया है। जहां 2015-16 में 335 करोड़ डिजिटल लेन-देन हुये थे, वहीं 2017-18 में इनकी संख्या 2070.98 करोड़ तक पहुँच गयी। इतना ही नहीं, इनमें बढ़ोत्तरी का सिलसिला लगातार जारी है। डिजिटल भुगतान का फायदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में पूरा-पूरा उठाया जा रहा है जिससे जन कल्याण के प्रति सरकार की वचनबद्धता की फिर से पुष्टि होती है। अब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत सरकार की ओर से दिये जाने वाले फायदे/सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। पैसे भेजने के इस तरीके में पलक झपकने भर की देरी लगती है और सही राशि व्यक्ति तक पहुंच जाती है। अब तक 5.06 लाख करोड़ रुपये प्रत्यक्ष तह 90,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। इस समय सरकार की करीब 44 योजनायें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की दायरे में आती हैं।

टेक्नोलॉजी : बदला परिदृश्य-

डिजिटल इंडिया ने सेवा उपलब्ध कराने और शासन संचालन के समूचे परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। कॉमन सर्विसेज सेन्टर (साझा सेवा केन्द्र-सी.एस.सी.) देश में सूचना और संचार टेक्नोलॉजी से समन्वित ग्रामीण उद्यम हैं और नागरिकों को अनेक सेवाएं उनके घर के दरवाजे तक पहुंचाते हैं। इस समय देश भर के करीब 3.07 लाख सी.एस.सी. में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने जैसी 300 से अधिक सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। ग्राम स्तर के उद्यमों के माध्यम से इन केन्द्रों ने ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है जिससे

डिजिटल तरीके से समावेशी सशक्त समाज के निर्माण में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है और डिजिटल साक्षरता की खाई को पाटने में मदद मिली है।

जीवन-प्रमाण से पेंशन भोगी अपने आधार के बायोमीट्रिक प्रमाणन विवरण का इस्तेमाल करके घर बैठे या बैंक, सी.एस.सी. केन्द्र अथवा सरकारी कार्यालय आदि में अपना डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र को हासिल करने और इससे जुड़ी सुविधाओं का फायदा उठाने के लिये अब पेंशनर को सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की अनिवार्यता नहीं रह गयी है। अब तक करीब 1.75 करोड़ डिजिटल लाइफ सर्टीफिकेट **जन्म प्रमाण** के माध्यम से बनाये जा चुके है।

लोगों को उनकी डिजिटल यात्रा पर निरंतर अग्रसर करते रहने के लिये यूनीफाइड निरंतर एप्लिकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस (नये जमाने के शासन संचालन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन-उमंग) शुरु किया गया है। यह मोबाइल ऐप अकेले ही 307 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराता है और इसके तहत 1200 में विमोचन के बाद से 84 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने इसे डाउनलोड किया है।

डिजिटल बदलाव लोगों को डिजिटल यात्रा में संलग्न करने, उन्हें इसके लिये सक्षम व अधिकार संपन्न बनाने तथा यात्रा पर निकले लोगों की प्रगति का सिलसिला बनाये रखने की निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इसी दिशा में एक और प्रयास है, डिजीलॉकर यानी डिजिटल लॉकर जिसने लोगों को क्लाड कम्प्यूटर की मदद से अपने दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को सुरक्षित रखने, साझा करने और उनका सत्यापन करने में सक्षम बनाया है। चूंकि दस्तावेज पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर रहते हैं और जारी करने वाले संगठन साझा कर रहा होता है, इसलिए डिजिटल लाकर में दस्तावेज जमा होने पर किसी दस्तावेज की सत्यापित प्रति या मूल प्रति जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कोई उपभोक्ता अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों को किलक का बटन दबाने भर से अपने संभावित नियोक्ता के साथ साझा कर सकता है। अब तक 1.59 करोड़ पंजीकृत उपभोक्ताओं ने 2.14 किये हैं ओर इसमें नागरिकों को असीमित डिजिटल स्पेस नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल शिक्षा को बढ़ावा देने का माध्यम बन गया है। इसके जरिए विद्यार्थियों को आवेदन करने, आवेदन प्राप्ति की जानकारी हासिल करने, आवेदन की प्रोसेसिंग, स्वीकृति ओर आसानी से विभिन्न छात्रवृत्तियों को बड़े पैमानो पर इसके दायरे में लिया गया है। 2015 में इसके शुभारंभ से 1.8 करोड़ विद्यार्थियों/लाभार्थियों को इसके माध्यम से 5,257 करोड़ रुपये संवितरित किये गये हैं। ऑनलाइन

पंजीयन प्रणाली (ओ.आर.एस.) और ई-हॉस्पिटल ने रोगियों को आधार संख्या पर आधारित ऑनलाइन पंजीयन सुविधा मुहैया करायी है और डॉक्टर से मुलाकात का समय प्राप्त करना आसान बना दिया है। इससे अस्पतालों में लगने वाली लम्बी-लम्बी कतारें कम हो गयी हैं और स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन कायम हो गयी है। देश के 318 अस्पतालों को ई-हॉस्पिटल सुविधा से जोड़ दिया गया है और 5.6 करोड़ ई-हास्पिटल लेनदेन इसके माध्यम से किये जा चुके हैं।

रोजगार सृजन-

लोगों के जीवन का शानदार स्तर बनाए रखने के लिए रोजगार बुनियादी जरूरत है। भारत सरकार ने इस सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, बी.पी.ओ. संवर्धन, आई.ओ.टी.-इंटरनेट ऑफ थिंग्ज जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहल की है। भारतीय स्टार्ट अप्स इस जबरदस्त बदलाव से उत्पन्न व्यापक संभावनाओं का फायदा उठाने के लिए तरक्की कर रहे हैं। 2018 में 1200 से अधिक स्टार्ट एप गठित किये गये जिनमें से 8 यूनीकार्न का उत्पादन भी कई गुना बढ़ गया है। 2014 में देश में मोबाइल फोन बनाने वाली केवल दो इकाईयां थी और आज 127 इकाईयां मोबाइल हैंडसेट और उनके हिस्से-पुर्जो का उत्पादन कर रही है। इससे रोजगार के 4.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर उपलब्ध हुये हैं। एकदम नये इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण समूहों (ईएमसी) की स्थापना के लिए 20 स्थानों को मंजूरी दी गयी है और 23 आम सुविधा केन्द्र (सीएफसी) बनाए जाने हैं जिनसे रोजगार के करीब 6.5 लाख अवसर उत्पन्न होगें। बी.पी.ओ. आज देश के छोटे शहरों तक पहुँच चुके हैं और देश के 20 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों के 100 शहरों में इनका विस्तार है। इनसे इन छोटे शहरों और कस्बों में रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं और इनमें रहने वाले नौजवानों को सूचना टेक्नोलॉजी उद्योग का फायदा मिल रहा है।

गवर्नमेंट ई-मार्केट-

सरकारी ई-बाजार प्लेस भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का काफी बड़ा हिस्सा सामान की सरकारी खरीद पर खर्च करता है और आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं की विकेन्द्रित खरीद करना बड़ा चुनौती भरा काम है। कम मात्रा में खरीद करने पर जहां थोक खरीद का फायदा नहीं मिल पाता, वहीं बड़े पैमाने पर छोटी-छोटी विकेन्द्रित खरीद में धांधलियों होने की आशंका बनी रहती है। सरकारी खरीद में इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस नाम का पोर्टल (जी-ईएम) शुरू किया है जिससे सामान और सेवाओं दोनों ही की सरकारी खरीद के लिए ऑनलाइन बाजार उपलब्ध हो

गये है। इससे सरकारी कार्यालयों को सामान बेचना बेहद आसान हो गया है। सरकारी खरीददारों के साथ मुलाकात करने की अब कोई जरूरत ही नहीं रह गयी है जिससे खरीद में पारदर्शित भी आयी है। इस वक्त 1.55 लाख विक्रेता और सेवा प्रदाता (29,729 खरीददार संगठन और 5.97 लाख उत्पाद इस प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं। जी-ईएम पोर्टल पर खरीदारों और विक्रेताओं की संख्या में बढ़ोत्तरी इस बात का संकेत है कि इस पोर्टल को उपयोग में लाना और इस पर सामान की बिक्री करना कितना आसान है।

डिजिटल व्यवधानों और लगातार बदलती डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ तेज रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिये लोगों के कौशलों में भी लगातार सुधार करने और उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि लोग उन्हें अपना सकें। इसलिये डिजिटल साक्षरता बढ़ाना और भविष्य लिये लोगों को कौशल सम्पन्न बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान का उद्देश्य 6 करोड़ लोगों को साक्षर बनाना है। 1 करोड़ 23 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था कितनी चिर-स्थायी बनी रहती है इसका दारोमदार इसके लचीलेपन ओर सुरक्षा में निहित है। उपयोग करने वालों को वित्तीय और अन्य डेटा के नुकसान की रोकथाम के लिये चेतावनी जारी करने के उद्देश्य से साइबर स्वच्छता केन्द्र (बॉटनेट हटाने और मालवेयर विश्लेषण केन्द्र) स्थापित किया गया है जो तत्काल बॉटनेट्स का हटाने की सुविधा को समावेशी, सुरक्षित ओर हिफाजत वाला साइबर स्पेस उपलब्ध कराना है।

सूचना टेक्नोलॉजी अब किसी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रह गयी है बल्कि इसका विस्तार सभी क्षेत्रों में हो रहा है। नयी और उदीयमान टेक्नोलॉजी अब कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को बदल और प्रभावित कर रही हैं। इन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जबरदस्त लागत पैदा की जा सकती है और इन क्षेत्रों की गतिशीलता और वितरण के मॉडल बदले जा सकते हैं। उभरती हुई टेक्नोलॉजी के प्रसार को ध्यान में रखते हुये फिनटेक और कृषि के क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रिएलिटी, ब्लॉकचेन, मेडिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों, नैनोइलोक्ट्रॉनिक्स आदि के क्षेत्र में 20 उत्कृष्टता केन्द्रों (सी.ओ.ई.) की योजना बनायी जा रही है। इनसे अनुसंधान और नवसृजन के लिए एक उपयुक्त मंच उपलब्ध हो जाएगा जिससे स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

भारत आज ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां डिजिटल इंडिया की मजबूत नींव रखी जा चुकी है और सूचनाओं तथा सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाने से भारत को आर्थिक और सामाजिक जैसे

महत्वपूर्ण क्षेत्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की क्षमता के बेहतरीन उपयोग में मदद मिली हैं। इससे भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डालर (10 खरब डालर) की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रही है और 2025 तक रोजगार के 5.5 से 6 करोड़ अवसरों की संभावना बन गयी है। एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था में 390-500 अरब डॉलर कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में डिजिटल अनुप्रयोगों से प्राप्त हों। इन सबसे न सिर्फ व्यापक आर्थिक बदलाव होगा बल्कि समावेशन, सशक्तीकरण और डिजिटल डिवाइस की खाई के पाटे जाने से यानी कम्प्यूटर की जानकारी रखने वालों और इसमें असमर्थ लोगों के बीच का अंतराल दूर होने से क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन भी जायेगा और न्यू इंडिया की बुनियाद पड़ेगी।

भारत में डिजिटल भुगतान के लेन देन में पिछले दो वर्षों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। भुगतान के नवीन तौर तरीके भारत इंटरफेस फॉर मनी युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (भीम-यूपीआई), आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एइपीएस) एवं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनइटीएस) ने व्यक्ति से व्यक्ति (पी२पी) के साथ-साथ व्यक्ति से व्यापारी (पी२एम) भुगतानों में वृद्धि कर डिजिटल भुगतान के वातावरण का रूपांतरण कर दिया है। इसके साथ ही भुगतान के मौजूदा साधनों जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इमीजीएट पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस) एवं प्री पेड इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) ने भी अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। घातांकी वृद्धि से भुगतान के नवीन साधन इसके मौजूदा साधनों जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईएमपीएस एवं पीपीआई के सुविधाजनक विकल्प के तौर पर उभरे हैं। भारत इंटरफेस फॉर मनी-युनिफाइड पेमेंट्स (भीम-यूपीआई) के अंतर्गत मासिक लेनदेन की संख्या सितम्बर 2018 के दौरान पहली बार भुगतान के किसी अन्य मौजूदा साधन से आगे निकल गई है।

डिजिटल भुगतान के लेन देन में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी-

कुल लेनदेन 1 अक्टूबर, 2016 में डिजिटल भुगतान से लेन देन की संख्या 79.67 करोड़ थी। अगस्त, 2018 में यह 207 प्रतिशत बढ़कर 244.81 करोड़ हो गई। अक्टूबर, 2016 में लेनदेन की कुल धनराशि 108.7 लाख करोड़ रुपये थी जो कि अगस्त, 2018 में 88 प्रतिशत कर 204.86 लाख करोड़ रुपये हो गई।

भुगतान के नवीन साधनों में उच्च वृद्धि -

भीम-यूपीआई की वृद्धि: अक्टूबर,2016 में भारत इंटरफेस फॉर मनी-युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (भीम-यूपीआई) से होने वाले लेन-देन की संख्या 48 करोड़ रुपये की धनराशि समेत 1.031 लाख की थी, जो कि अक्टूबर, 2018 में बढ़कर 74,978.27 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ 48.236 करोड़ हो गई।

वित्त वर्ष	लेनदेन की संख्या	वर्ष दर वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)
2007-08	38.4	9
2008-09	38.7	1
2009-10	40.4	4
2010-11	50.2	24
2011-12	67.8	35
2012-13	93.2	37
2013-14	127.7	37
2014-15	181.6	42
2015-16	292.8	61
2016-17	595.7	103
2017-18	921.7	55
2018-19	580.1	---

स्रोत - पेमेंट सिस्टम इंडिकेटर रिपोर्ट, डी.बी.आई., रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई)

एइपीएस में बढ़ोत्तरी :

अक्टूबर, 2016 में आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एइपीएस) के अंतर्गत 221 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ होने वाले लेन देन की कुल संख्या 2.57 करोड़ थी, जो संख्या अक्टूबर, 2018 में 5893 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ 15.07 करोड़ हो गई।

भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) में युटिलिटी बिल पेमेंट के रूप में बढ़ोत्तरी: बीबीपीएस के लेन देन की संख्या 11000 थी, जो अक्टूबर 2018 में 910 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ 2.94 करोड़ हो गई।

नेशनल इ-टोल कलेक्शन (एनइटीसी): दिसम्बर, 2016 में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण के लिये टोल प्लाजा पर FASTAG के इस्तेमाल से एनसीटीसी की शुरूआत हुई। अक्टूबर 2018 में एनइटीसी के उपयोग से FASTAG का उपयोग कर टोल प्लाजा पर 502 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की संख्या 2.22 करोड़ है। इस तरह से डिजिटल युग की शुरुआत भारत में हो चुकी है और २१वीं

सदी के सुनहरे सपनों को साकार होने का समय आ गया है।

सन्दर्भ स्रोत -

1. *योजना* : विकास को समर्पित मासिक, दिसम्बर-2018, पृ. 17-18.
2. बनर्जी, अभिजीत (2016), *यूनिवर्स बेसिक इन्कम,आइडियाज फॉर इंडिया*, 27 सितम्बर, 2016.
3. वर्धन, प्रणब (2016), बेसिक इन्कम इन अ पुअर कंट्री, *आईडियाज फॉर इंडिया*, 26 सितम्बर, 2016.
4. चक्रवर्ती, लेखा : *फिस्कर कंसॉलिडेश,बजट डेफिसिट्स एण्ड मैक्रो इकॉनमी*, सेज पब्लिकेशन, यूके.
5. भारत सरकार, (2017) : *भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17*, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली.
6. नीलकेणी (2012) : *रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऐन आधार-एनेबल्ड यूनीफाइड पेमेंट इंक्रास्ट्रक्चर*, फरवरी, 2012.

*****

पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य जागरुकता

डॉ. दीप्ति श्रीवास्तव

गोरखपुर (उ.प्र.)

सारांश

किसी भी देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को जानने के लिए वहाँ की व्यक्तियों की स्वास्थ्य स्थिति एवं स्तर का आंकलन करना अति आवश्यक है समाज में व्यक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है दुनिया में तेजी से हो रहे आर्थिक राजनैतिक और सांस्कृतिक बदलाव का मनुष्य के जीवन और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में नागरिकों को बेहतर इलाज मुहैया करना सरकार का जिम्मा है इस जिम्मेदारी को निभाने के लिये जरूरी है कि सरकारी विभिन्न क्षेत्रों की आबादी सामाजिक और आर्थिक संरचना को ध्यान में रखते हुये उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये व्यवस्था करें। पूर्वी उत्तरप्रदेश में आबादी के हिसाब से यह स्वास्थ्य जागरूकता का आभाव है पिछले दो दशकों से सुविधाओं, संसाधनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक है। इस मुद्दों को ध्यान में रखकर सभी बिन्दुओं की विस्तार में चर्चा की गई है।

मुख्य शब्द- *स्वास्थ्य जागरुकता, पूर्वी उत्तर प्रदेश,एलोपैथी चिकित्सा पद्धति।*

समाज वैज्ञानिकी अक्टूबर-मार्च 2020-21
अंक-33-34, ISSN 0973-4201
भारतीय समाज विज्ञान परिषद्